पत्र संख्याः–ओ0/रा0मा0आ0–04/2016–...../

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

पटना, दिनांक– फरवरी, 2016

विषयः– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18310/2011 में दिनांक–21.12.2015 को पारित आदेश के आलोक में पर्यवेक्षण गृह, पटना में श्री राजेश कुमार, पिता–श्री सुबोध महतो (मंडल), ग्राम+पो0+थाना–हबीबपुर, जिला–भागलपुर की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक स्व0 राजेश कुमार की माता (परिवादनी) श्रीमती किरण देवी को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या–1424 दिनांक–16.02.2016 द्वारा स्वीकृत राशि के मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N2235602000011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से कुल ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. **स्व राजेश कुमार की माता (परिवादनी) श्रीमती किरण देवी को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर को निम्नवत राशि आवंटित की जाती हैः–**

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, भागलपुर को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, भागलपुर को वर्त्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, भागलपुर को कुल में आवंटित राशि
₹00/– (शून्य)	₹2,00,000/– (दो लाख)	₹2,00,000/– (दो लाख)

3. उक्त आवंटित राशि **₹2,00,000/– (दो लाख रूपये)** मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रय मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड–N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा यथा विषयांकित मृतक स्व0 राजेश कुमार की माता श्रीमती किरण देवी को मुआवजा के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध करायी जा रही है।

   जिला पदाधिकारी, भागलपुर कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान परिवादनी की समुचित पहचान कर की गई है।

5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर होंगे।

6. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जायगी।

7. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर की होगी।

8. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा परिवादनी श्रीमती किरण देवी को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।
9. जिला पदाधिकारी, भागलपुर का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।
10. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा मात्र उक्त परिवादनी श्रीमती किरण देवी को अंतरिम राहत/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
11. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
12. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
13. इस आवंटन ओदश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-..... पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-..... पटना, दिनांक- , 2016

फैक्स
स्पीड-पोस्ट

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर /वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-..... पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा ''ए0'', गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- ...../ पटना, दिनांक ....., 2016

प्रतिलिपि :- सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को समाज कल्याण निदेशालय की संचिका संख्या-10/कोर्ट-04/14 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-18310/2011 में दिनांक-21.12.2015 को पारित आदेश के आलोक में अनुपालन के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 1465 ...../ पटना, दिनांक-16 फरवरी , 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Jitendra 16.02.16

सरकार के विशेष सचिव।